262

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक १९ अगस्त, १९९६ (श्रावण २८, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन

१. निधन उल्लेख.

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह जूदेव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

२. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

३. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(१) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद १५१ के खंड (२) की अपेक्षानुसार :-

(क) वित्त लेखे वर्ष १९९४-९५,
(ख) विनियोग लेखे वर्ष १९९४-९५,
(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त वर्ष का क्रमांक-३ (सिविल),
(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का दिनांक ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) क्रमांक-४, तथा
(ङ.) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त वर्ष का क्रमांक-२ (वाणिज्यिक), पटल पर रखेंगे.

(२) डॉ. प्रेमसाय सिंह, मछली पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, १९७९ (क्रमांक ६ सन् १९७९) की धारा ३० की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५, पटल पर रखेंगे.

(३) श्री रविन्द्र चौबे, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २३ सन् १९९१) की धारा १७ की अपेक्षानुसार :-

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५,

(ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५ एवं वार्षिक लेखा वर्ष १९९४-९५,

(ग) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५ (दिनांक १-७-९४ से दिनांक ३०-६-९५), तथा

(घ) डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक १ जुलाई, १९९४ से दिनांक ३० जून, १९९५, पटल पर रखेंगे.

४. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के गंडई तथा रेंगाखार वन परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, कटनी कृषि उपज मण्डी में कृषकों की उपज क्रय न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

५. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन.

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम २३४-ख के उपनियम (१) के द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष १९९६-९७ की शेष अवधि के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये (जो अनुसूचित जनजाति का होगा) अग्रसर हों."

६. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन.

श्री अजय नारायण मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम २२३-ख के उप नियम (१) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष १९९६-९७ की शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."